न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 72 / 2025	2025 / 219	22.04.2025	15.4.2026

विजयसिंह दत्तक पुत्र रामजी लाल, जाति ठाकुर (राजपूत), निवासी ग्राम कारोली, तहसील तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

कृप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1

बनाम

1.सन्तोष उर्फ रामकली पुत्री रामजी लाल, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम कारोली, तहसील तिजारा, हाल आबाद ग्राम मानेरूह, तहसील भिवाड़ी, जिला भिवानी, हरियाणा
2.समरजीत
3.विश्वजीत पुत्रगण स्व. उम्मेद देवी पुत्री रामजी लाल, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम कारोली, तहसील तिजारा, हाल आबाद ग्राम मानेरूह, तहसील भिवाड़ी, जिला भिवानी, हरियाणा
4.उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा
5.महीपाल सिंह
6.सुरेशसिंह पुत्रान बलवीरसिंह, जातियान ठाकुर (राजपूत), निवासी ग्राम कारोली, तहसील तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

विषय – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा में विचाराधीन वाद संख्या 322 / 2023 "सन्तोष उर्फ रामकली बनाम विजयसिंह आदि" के स्थानांतरण बाबत।

आदेश

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा में विचाराधीन वाद संख्या 322 / 2023 में उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही हैय वादिया एवं पीठासीन अधिकारी के मध्य सांठगांठ हैय उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर आदेश पारित नहीं किया जा रहाय वादिया पक्ष की बहस सुन ली गई हैय तथा प्रार्थी को यह आशंका है कि उसके पक्ष की सुनवाई किए बिना एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जाएगा। इन आधारों पर उक्त वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

स्थानांतरण की शक्ति असाधारण प्रकृति की शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ अभिलेख पर ऐसे ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय कारण उपलब्ध हों, जिनसे यह संतोषजनक रूप से प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है अथवा न्यायहित में वाद का स्थानांतरण अनिवार्य हो गया है। मात्र आशंका, अनुमान, असंतोष या किसी न्यायिक कार्यवाही के क्रम से उत्पन्न असहमति स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप मुख्यतः इस प्रकृति के हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी प्रार्थना पर आदेश पारित नहीं किया गया, वादिया पक्ष की बहस सुन ली गई, तथा वादिया और न्यायालय के मध्य सांठगांठ है। तथापि इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, प्रत्यक्ष, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल इस आधार पर कि किसी आवेदन पर अभी आदेश पारित नहीं हुआ, या किसी पक्ष की बहस पूर्व में सुन ली गई, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से संचालित नहीं होगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि विचाराधीन वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा के अधिकार क्षेत्र में लंबित है। कार्यवाही के दौरान पारित किसी अंतरिम आदेश, कार्यवाही के क्रम, अथवा आवेदन के निस्तारण में विलंब से यदि प्रार्थी असंतुष्ट है, तो उसके लिए विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपचार अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार किसी पक्षकार को अपनी सुविधा अथवा अपने मनोनुकूल न्यायालय चुनने के लिए प्रदान नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र में यह आरोप भी लगाया गया है कि वादिया एवं उपखण्ड अधिकारी आपस में मिले हुए हैं तथा प्रार्थी को धमकियाँ दी जा रही हैंय परन्तु इन कथनों के समर्थन में कोई ऐसी सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई है जिससे न्यायालय यह निष्कर्ष निकाले कि न्याय की निष्पक्षता पर वास्तविक, गंभीर और

जिला कलेक्टर

वस्तुगत संदेह उत्पन्न हो गया है। न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात अथवा सांठगांठ का आरोप गंभीर आरोप होता है, जिसका आधार केवल कथन मात्र नहीं हो सकताय उसके समर्थन में विश्वसनीय सामग्री अपेक्षित होती है, जो वर्तमान प्रकरण में अनुपस्थित है।

समस्त प्रार्थना पत्र, वर्णित आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं। कोई ऐसा विशेष, ठोस अथवा न्यायोचित कारण स्थापित नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि वाद संख्या 322/2023 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा से स्थानांतरण न्यायहित में आवश्यक है।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि स्थानांतरण हेतु अपेक्षित आधार वर्तमान प्रकरण में सिद्ध नहीं होते और प्रार्थी स्थानांतरण का औचित्य स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 विजयसिंह दत्तक पुत्र रामजी लाल द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा, मूल वाद संख्या 322/2023 का विधि अनुसार निस्तारण करें।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 15.4.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मृतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)